



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072022-237440
CG-DL-E-22072022-237440

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 524]
No. 524]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 22, 2022/आषाढ़ 31, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 22, 2022/ASHADHA 31, 1944

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 597(अ).—केन्द्रीय सरकार, नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटेरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटेरी (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- नोटेरी नियम, 1956 के नियम 8ख में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु समुचित सरकार, आवेदन में कथित कारणों पर विचार करने के पश्चात्, व्यवसाय प्रमाणपत्र के नवीकरण के आवेदन को छह मास की उक्त अवधि से पूर्व प्रस्तुत करने की शर्त को शिथिल कर सकेगी;

परंतु यह और कि जहां व्यवसाय प्रमाणपत्र के नवीकरण का कोई आवेदन उसकी विधिमान्यता की अवधि के अवसान की तारीख के पश्चात् एक वर्ष के भीतर प्राप्त होता है, तो समुचित सरकार, आवेदन में कथित कारणों पर विचार करने के पश्चात्, व्यवसाय प्रमाणपत्र का नवीकरण उसकी विधिमान्यता की अवधि के अवसान की तारीख से कर सकेगी।"

[फा. सं. 15011/6/2022-एन सी]

सुनीता आनंद, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक का.नि.आ. 324, तारीख 14 फरवरी, 1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 438(अ), तारीख 9 जून, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2022

G.S.R. 597(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely :—

- (1) These rules may be called the Notaries (Second Amendment) Rules, 2022.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Notaries Rules, 1956, for rule 8B, the following provisos shall be inserted namely:—

“Provided that the appropriate Government may, after considering the reasons stated in the application, relax the condition of submission of application for renewal of Certificate of Practice before the said period of six months;

Provided further that where an application for renewal of Certificate of Practice is received within one year after the date of expiry of its period of validity, the appropriate Government may, after considering the reasons stated in the application, renew the Certificate of Practice with effect from the date of expiry of its period of validity.”

[F. No. 15011/6/2022-NC]

SUNITA ANAND, Jt. Secy. & Legal Advisor

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number S.R.O. 324, dated the 14th February, 1956 and was lastly amended *vide* notification number G.S.R. 438 (E), dated the 09th June, 2022.